न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

संख्या : 80/2020

प्रार्थीगण

1. विरधाराम पुत्र काछबाराम
2. लुम्भाराम पुत्र काछबाराम
3. रामाराम पुत्र काछबाराम
4. गंगा पत्नी काछबाराम

   जाति रबारी निवासी डाबड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तोगाराम पुत्र जेठाराम
2. हेमाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट
3. खंगाराराम पुत्र हरदाराम
4. उदाराम पुत्र हरदाराम जाति देवासी
5. जयसिंह पुत्र रतनदान
6. शक्तिदान पुत्र रतनदान
7. पुखदान पुत्र रतनदान
8. उगमकंवर पत्नी रतनदान
9. प्रतापदान पुत्र इन्द्रदान
10. लांगीदान पुत्र इन्द्रदान
11. भंवरीदेवी पत्नी इन्द्रदान जाति चारण
12. प्रभुदान पुत्र आईदानराम जाति चारण
13. अमरदान पुत्र आईदान
14. सांवलदान पुत्र आईदान जाति चारण
15. लक्ष्मीदान पुत्र राणीदान जाति चारण
16. प्रेमाराम पुत्र उकाराम जाति रबारी
17. सूजाराम पुत्र रूडाराम
18. रतनाराम पुत्र रूडाराम
19. जोगाराम पुत्र रूडाराम
20. समदा पत्नी रूडाराम
21. हीराराम पुत्र रूपाराम जाति रबारी निवासी डाबड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
22. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:11 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

दिनांक :–08–01–2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत सरहद मौजा डाबड के खेत खसरा नम्बर 1209 रकबा 11–10 बीघा, खसरा नम्बर 1304 रकबा 22–00 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्धान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 सरहद मौजा डाबड के खेत खसरा नम्बर 1209 रकबा 11–10 बीघा, खसरा नम्बर 1304 रकबा 22–00 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा डाबड के खेत खसरा नम्बर 1209 रकबा 11–10 बीघा, खसरा नम्बर 1304 रकबा 22–00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल द[illegible]

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी